

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र रामभवन तिवारी नि० मेहनौन बाजार थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-108/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विनोद सोनकर पुत्र परमानन्द सोनकर नि० सोनी डिहवा मौजा सोनी हरलाल थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-269/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रभावती पत्नी स्व० श्री राम छबीले नि० ग्राम नई बस्ती ईमलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-73/2021, 02. रामदेव पुत्र स्व० बदलू सीता राम पुत्र स्व० बदलू जगराम पुत्र संतराम व चन्द्रभान पुत्र राम लाल निवासीगण ग्राम केवलपुरा मौजा पेडारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-74/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 05.04.2021

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हरिओम पाण्डेय पुत्र रामरूप पाण्डेय नि० देवरिया कला थाना खरगपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—111/21, धारा 279.337.338.304ए.427 भादवि व 184 एम०वी० एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण—

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 30.03.2021 को कस्बा इटियाथोक में लापरवाही पूर्वक वाहन/स्कार्पियों चलाते हुए वादी मैनुद्दीन पुत्र सब्बीर अहमद नि० अब्दुल पुरवा थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के चचेरे भाई मो० जुबेर व उसकी पत्नी फातिमा को टक्कर मार दिया था जिनकी ईलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० कुबेर तिवारी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 05.04.2021

थाना कौड़िया ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. भोले खान पुत्र इस्माल नि० सिसईया दलील थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-56/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस ।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० बृजेश कुमार मय पुलिस टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 05.04.2021

थाना परसपुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नीबर तिवारी पुत्र रघुवर दयाल नि० ग्राम टेपरी मौजा सकरौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-70/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० रणजीत यादव मय टीम।